>

Title: Further discussion on the motion for consideration of the Constitution (One Hundred Seventeenth Amendment) Bill, 2012 (Amendment of article 16), as passed by Rajya Sabha (Discussion not concluded).

MADAM SPEAKER: The House will now take up Item No. 39. The Hon. Minister to continue.

...(*Interruptions*)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): अध्यक्ष महोदया, हमने नोटिस दिया है, उसका क्या हुआ...(व्यवधान)

12.24Â½ hrs

At this Stage, Shri Shailendra kumar and some other hon. Members came and

stood on the floor near the Table.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): Madam Speaker, in the Indira Shani's case, the reservation in promotion was struck down by the Supreme Court....(*Interruptions*) Therefore, the Government brought forward the 77th Amendment to the Constitution for the purpose of giving validity to reservation in promotion for the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe persons....(*Interruptions*) Thereafter, the 85th Amendment was brought forward. ...(*Interruptions*) What happened was in the Virpal Singh's case, it was held that when the general category person is promoted after the reserved category person, he will be restored to the original seniority leaving behind the Scheduled Caste/Scheduled Tribe promotee....(*Interruptions*)

Therefore, to cure the defect, we brought forward the 85th Constitution Amendment for adding the consequential seniority so that the person who has been promoted from the Scheduled Caste/Scheduled Tribe category will retain his seniority. ...(*Interruptions*) The 81st Amendment was brought forward to the Constitution when the Supreme Court held that the vacancies for a particular year cannot be carried out to the subsequent years for the Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates....(*Interruptions*) By this amendment, if the Scheduled Caste/Scheduled Tribe persons are not available within the quota, it would be carried over to the next and subsequent years for the purpose of giving them reservation in the reserved category....(*Interruptions*)

Then, there was another amendment to the Constitution. Through the 82nd Amendment, the Government allowed relaxed standards and relaxed qualifications for the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people....(*Interruptions*) All these four amendments – 77th amendment, 84th amendment, 85th amendment, and 87th amendment - were challenged in the Nagaraj case in the Supreme Court and the Supreme Court in its judgement held that reservations in promotion to the Scheduled Caste/Scheduled Tribe persons are valid and they put three qualifying conditions, namely, backwardness, inadequacy of representation and competency.â€¦ (*Interruptions*) The State Governments framed rules for the purpose of implementing the reservation in promotion in the Suraj Bhan Meena Vs. the State of Rajasthan and the Government of Uttar Pradesh Vs. Rajesh Kumar...(*Interruptions*) The promotion policy of the respective Governments was challenged and the court held that it is not in accordance with Nagraj's case. They set aside the promotions for the Scheduled Caste/Scheduled Tribe persons....(*Interruptions*)

Thereafter to cure this defect, the present amendment to Article 16 (4) (a) has been brought for the purpose of giving the benefit of reservation in promotion for the Scheduled Caste/Scheduled Tribe persons....(*Interruptions*)

Therefore, I commend this Bill for the consideration and passing of the House. ...(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Motion moved:

> "That the Bill further to amend the Constitution of India, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

_

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण संविधान संशोधन बिल पर बोलने का अवसर दिया है। ...(व्यवधान) यह बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है। ...(व्यवधान) दलित समाज को यह भावना हो रही थी कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। ...(व्यवधान) रिज़र्वेशन इन प्रमोशन हालांकि सरकारी कर्मचारियों के ऊपर लागू होता है। ...(व्यवधान) लेकिन आम समाज में यह धारणा पैदा हुई कि यह हमारे अधिकारों का हनन हुआ है ...(व्यवधान) हमारे अधिकारों पर हमला है ...(व्यवधान) इसलिए यह आवश्यक था। ...(व्यवधान) आज हिंदुस्तान में हर व्यक्ति इंतजार कर रहा है कि पार्लियामेंट में क्या होगा। ...(व्यवधान) मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा ...(व्यवधान) जैसा माननीय मंत्री जी ने भी अभी बताया कि ...(व्यवधान) यह अधिकार आज भी है। रिज़र्वेशन इन प्रमोशन का प्रावधान आज भी है। ...(व्यवधान) जैसे आर्टिकल 64 ए कहता है कि - Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for reservation in matters of promotion, with consequential seniority, to any class or classes of posts in the services under the State in favour of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes which, in the opinion of the State, are not adequately represented in the services under the State. ...(व्यवधान) इस तरह से यह प्रावधान है। ...(व्यवधान) आज यह भावना फ़ैलाई जा रही है कि दलित समाज को कुछ अतिरिक्त दिया जा रहा है। ...(व्यवधान) अतिरिक्त नहीं है। ...(व्यवधान) पहले एम. नागराज केस की वजह से जो कंडीशन उन्होंने लागू की और वह कंडीशन वास्तविकता से दूर थी। ...(व्यवधान) केवल उसको दूर करने के लिए संविधान संशोधन लाया गया। ...(व्यवधान) एम. नागराज केस में कहा गया कि बैकवर्डनेस को देखा जाएगा ...(व्यवधान) और बैकवर्डनेस को भी हर केस में देखा जाएगा। ...(व्यवधान) एम. नागराज केस में कहा गया कि हम इंदिरा साहनी केस से बाधित हैं। ...(व्यवधान) वह हमारे लिए बाइंडिंग फोर्स है। ...(व्यवधान) इंदिरा साहनी केस में ही यह कहा गया कि शिडयूल कास्ट के अंदर बैकवर्डनेस अंडाउटिड्ली है। ...(व्यवधान) इस तरह से एम. नागराज केस में यह कह देना कि बैकवर्डनैस को देखा जायेगा...(व्यवधान) वह किसी भी तरह से सही नहीं है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अभी आपको बुलाते हैं।

â€¦(व्यवधान)

श्री पन्ना लाल पुनिया : एम. नागराज केस में कहा गया कि एडीक्वैसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन देखा जायेगा। ...(व्यवधान) मैं यह कहना चाहूंगा कि ...(व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में पूरे काडर की रोस्टर प्रणाली ...(व्यवधान) लागू की। ...(व्यवधान) यह पहले से तय है कि...(व्यवधान) रिजर्वेशन किस आधार पर...(व्यवधान) किस प्वाइंट पर रिजर्वेशन होगी...(व्यवधान) किस प्वाइंट पर रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लॉस को होगी, किसमें शैडयूल कास्ट को होगी, किसमें शैडयूल ट्राइब को होगी, जब वह रोस्टर प्रणाली लागू है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लागू है...(व्यवधान) एम. नागराज केस यह कहता है कि रोस्टर प्रणाली पहले से लागू है। ...(व्यवधान) जब देश में रोस्टर प्रणाली लागू है तो...(व्यवधान) एडीक्वैसी रिप्रेजेंटेशन से ज्यादा कभी भी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता है।...(व्यवधान) इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि मेरे पास पूरे हिंदुस्तान भर के आंकड़े हैं।...(व्यवधान) यहां भारत सरकार में भी ग्रुप ए, जो क्लास वन की सर्विस है, उसमें भी 15 परसेंट के अगेंस्ट 12.5 हैं।...(व्यवधान) पंजाब में, जिसमें तीस परसेंट पॉपुलेशन है, वहां क्लास वन में तीस परसेंट के मुकाबले केवल 16 फीसदी रिजर्वेशन है।...(व्यवधान) क्लास बी 18.44 परसेंट है। ...(व्यवधान) इसी तरह से हिमाचल प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है। ...(व्यवधान) वेस्ट बंगाल में 23 परसेंट रिजर्वेशन है, लेकिन क्लास वन में केवल 10.28 परसेंट हैं, ग्रुप बी में 17 परसेंट हैं, ग्रुप सी में भी 17 परसेंट हैं।...(व्यवधान) इस तरह से 23 परसेंट के मुकाबले कहीं भी रिजर्वेशन लागू नहीं है। ...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश में, जिसमें विशेष रूप से कहा गया, 21.2 प्रतिशत अनुसूचित जाति की जनसंख्या है, उसके अगेंस्ट ग्रुप ए में 12.17 परसेंट है, ग्रुप बी में 15.03 परसेंट है, ग्रुप सी में 17.77 परसेंट है।...(व्यवधान) हरियाणा में भी इसी तरह से है। ...(व्यवधान) बीस परसेंट वहां की जनसंख्या है और इसमें क्लास वन में 3.77 परसेंट हैं...(व्यवधान) तमिलनाडु में केवल दस परसेंट हैं और 19 परसेंट की पॉपुलेशन है। ...(व्यवधान) इस तरह से मेरे पास पूरा चार्ट है, जिसमें गोवा को छोड़कर किसी भी राज्य में आरक्षण पूरा नहीं है।...(व्यवधान) तो ये किसकी बात करते हैं?...(व्यवधान) मैं समझता हूं कि एम. नागराज केस में ...(व्यवधान) जो बातें कहीं, एडीक्वैट्री रिप्रेजेंटेशन में ...(व्यवधान) वे बिल्कुल गलत हैं...(व्यवधान) न किसी राज्य में पूरा है, न केंद्र में पूरा है। ...(व्यवधान) केंद्र सरकार में आपने देखा होगा ...(व्यवधान) सेक्रेटरी लेवल की (व्यवधान) पोस्टों में शैडयूल कास्ट का एक भी व्यक्ति नहीं है। ...(व्यवधान) एडीशनल सेक्रेटरी लेवल की पोस्टों में केवल चार पोस्ट एवलेबल हैं या वैकेंसी फिल-अप हुयी हैं।...(व्यवधान) इसके अलावा कहीं भी...(व्यवधान) आप ध्यान दीजिए कि जहां पर निर्णय होते हैं, ...(व्यवधान) जहां पॉलिसी तय होती हैं, जहां दलित समाज के वैलफेयर के लिए, कल्याण के लिए कानून बनता है, ...(व्यवधान) उसकी पॉलिसी निर्धारित करते समय अगर वहां दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं है तो मैं समझता हूं कि इस पर हमें चिंतन करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है।...(व्यवधान) एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, एम.नागराज केस में कहा कि प्रत्येक केस में एफिशिएंसी देखी जायेगी।...(व्यवधान) मैं जानना चाहूंगा कि यह आरोप किसी का भी नहीं है, यहां पर सब बैठे हुए हैं, किसी का आरोप नहीं है कि निकम्मे व्यक्तियों को प्रमोट किया जाता है, बल्कि शिकायत यह है कि अनुसूचित जाति के लोगों की प्रमोशन पाने की जब बारी आती है, उस समय उनकी एसीआर को खराब कर दिया जाता है।...(व्यवधान) उनको वंचित किया जाता है। ...(व्यवधान) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में हमारे पास अनेक-अनेक ऐसे उदाहरण हैं।...(व्यवधान) हमारे पास रोज कम्प्लेंट्स आती हैं, उनमें आता है कि हमारे प्रमोशन का समय नजदीक आया, उसी समय हमारी एसीआर खराब कर दी गयी।...(व्यवधान) उसके अलावा जब भी डीपीसी होती है, जब भी प्रमोशन का वक्त

आता है, उस समय...(व्यवधान) केवल और केवल जो ...(व्यवधान) रिकार्ड है, एनुवल कान्फीडेंशल रिपोर्ट है, उनको विशेष रूप से देखा जाता है।...(व्यवधान) उसे देखकर ही आगे प्रमोशन दिया जाता है।...(व्यवधान) ऐसा नहीं है कि ...(व्यवधान) क्योंकि रिजर्वेशन है, चाहे जो व्यक्ति हो, चाहे जो हो, उनको प्रमोशन दिया जायेगा।...(व्यवधान) यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की बात मानी जानी चाहिए।...(व्यवधान) यह ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट की बात माननी चाहिए, ...(व्यवधान) लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में यह लॉ ऑफ दी लैंड हो जाता है...(व्यवधान) जो भी निर्णय होता है...(व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट यह तो बता सकता है कि कानून में क्या कमी है,...(व्यवधान) लेकिन अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए क्या कानून होना चाहिए, ...(व्यवधान) इसका निर्धारण केवल और केवल पार्लियामेंट कर सकती है। न्यायालय को यह भी देखना चाहिए कि दलितों को उनका हक क्यों नहीं मिल रहा है। मैं इस संविधान संशोधन विधेयक, जो लोक हित में है, का समर्थन करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पर्यावरण की रक्षा की जाए। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 12.45 p.m.

12.35 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Forty-Five Minutes

past Twelve of the Clock.

12.45hrs

The Lok Sabha re-assembled at Forty Five Minutes

past Twelve of the clock

(Madam Speaker *in the Chair*)

â€¦(व्यवधान)

12.45 Â½ hrs

At this stage Shri Shailendra Kumar and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री लाल कृष्ण आडवाणी। Nothing else will not go in records.

(Interruptions) * *â€¦*

श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड): महोदया, हाउस को ऑर्डर में लाइए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग वापस जाइए।

â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग कृपया करके वापस जाइए। हमने आडवाणी जी को बोलने के लिए बुलाया है।

â€¦(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please go back to your seats.

...(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Let there be order in the House.

...(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please go back to your seats.

...(*Interruptions*)

12.49hrs

At this stage Shri Dilip Kumar Mansukhlal Gandhi, Shri Chandrakant Khaire, Shri Kaushalendra Kumar and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

â€¦(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please go back.

...(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: What is happening? Please go back to your seats.

...(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Let us have order in the House.

...(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please go back to your seats.

...(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 1.15 p.m.

12.50 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fifteen Minutes past Thirteen of the Clock.

_

13.15 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Fifteen Minutes past

Thirteen of the Clock.

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

...(*Interruptions*)

13.15 Â¼ hrs

At this stage Shri Shailendra Kumar, Shri Ganesh Singh, Shrimati Usha Verma and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions)** â€¦*

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2 p.m.

13.16 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen

of the Clock.

14.00hrs

The lok Sabha re-assembled at Fourteen of the clock

(Mr. Deputy Speaker *in the Chair*)

â€¦(व्यवधान)

14.01hrs

At this stage shri Ganesh Singh and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

â€¦(व्यवधान)

14.01 Â½ hrs

At this stage ShriRadha Mohan Singh and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

â€¦(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: रिकार्ड में किसी की बात नहीं जाएगी।

â€¦(व्यवधान)*

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.30 p.m.

14.02 hrs

The Lok Sabha then adjourned

till Thirty Minutes past Fourteen of the Clock.

14.30hrs

The Lok Sabha re-assembled at Thirty Minutes past Fourteen of the Clock.

(Dr. Girija Vyas *in the Chair*)

...(*Interruptions*)

14.30 Â½ hrs

At this stage, Shri Ghanshyam Anuragi, Shri Virendra Kumar and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

...(*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN : Nothing will go on record.

(Interruptions) *â€¦*

सभापति महोदया : रिकार्ड में कुछ नहीं जाएगा।

(Interruptions) *â€¦*

सभापति महोदया : माननीय आडवाणी जी।

â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदया : आप लोग अपनी सीट पर जाइए।

â€¦(व्यवधान)

MADAM CHAIRMAN: Please go to your place.

...(*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet again at 4 p.m.

14.31 hrs

The Lok Sabha then adjourned

till Sixteen of the Clock.

16.00hrs

The Lok Sabha re-assembled at Sixteen of the Clock.

(Madam Speaker *in the Chair*)

...(*Interruptions*)

16.0Â½ hrs

At this stage, Shri Ganesh Singh, Shri Ghanshyam Anuragi, Shri Kaushalendra Kumar and some other hon. Members came and

stood on the floor near the Table.

...(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please take your seats.

...(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) * *â€¦*

MADAM SPEAKER: Please take your seats.

...(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 5.30 p.m.

16.02 hrs

The Lok Sabha then adjourned tillThirty Minutes past

Seventeen of the Clock.

<u>17.30 hrs</u>

The Lok Sabha re-assembled at Thirty Minutes past Seventeen of the Clock.

(Madam Speaker *in the Chair*)